<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टीए/3891/2003/टोंक
विष्णु कुमार बनाम बादाम</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री हेमराज गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-1 से 6 एवं 7 के वारिसान की ओर से

निर्णय
दिनांक 07.09.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-07-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5(2) जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।
हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।
योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि जब प्रथम दृष्टया दावे को पढने एवं दावे में चाहे गये अनुतोष को पढने से प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गये विक्रयपत्र दिनांक 4-8-1968 व 23-12-1987 को इन्वेलिड घोषित करने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को नहीं है। उनका कथन है कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि श्रंवणाधिकार का प्रश्न वाद की मूल जडो तक जाता है और जिस वाद का
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3891/2003/टोंक विष्णु कुमार बनाम बादाम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्रंवणाधिकार न्यायालय को नहीं होता है उस वाद को न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक तनकी बनाकर आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत निरस्त किया जाना चाहिए। उनका कथन है कि विक्रयपत्र को प्रभावशून्य घोषित करने का श्रंवणाधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। उनका कथन है कि प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विक्रयपत्र को प्रभावशून्य घोषित कराने के वाद का श्रंवणाधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने तथा प्रस्तुत घोषणा खातेदारी का वाद मियाद बाहर होने बाबत् दो अतिरिक्त तनकीयात कायम किये जाने की प्रार्थना की गयी किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश से प्रार्थनापत्र को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्ययालय के समक्ष प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5(2) जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत घोषणा के मूल वाद में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम वादीगण की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है तथा मूल वाद साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर विचाराधीन है। साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर दो अतिरिक्त तनकीयात कायम किये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3891/2003/टोंक विष्णु कुमार बनाम बादाम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अप्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् घोषणा का वाद वर्ष 1988 में प्रस्तुत किया। उक्त वाद में विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दिनांक 20-12-1991 को तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी में प्रकरण को नियत किया। तत्पश्चात् साक्ष्य वादी लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त प्रकरण को साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 27-11-1997 को नियत किया। इसके उपरान्त प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27-03-2003 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर मूल वाद में दो अतिरिक्त तनकीयात कायम किये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निगराधीन निर्णय से खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित वाद में जिन दो अतिरिक्त तनकीयात प्रथम विक्रयपत्रों को बेअसर घोषित कराने का श्रंवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने, द्वितीय घोषणा का मूल वाद मियाद बाहर होने बाबत् कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया। जहां तक विक्रयपत्र को बेअसर घोषित किये जाने बाबत् तनकी कायम किये जाने का प्रश्न है, मूल वाद में पूर्व से कायम तनकी संख्या-2 के विरोध में प्रार्थी प्रतिवादी श्रंवणाधिकार सम्बन्धी अपनी आपत्ति उठा सकता है। इसी प्रकार मूल वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3891/2003/टोंक विष्णु कुमार बनाम बादाम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के मियाद बाहर होने बाबत् प्रार्थी प्रतिवादी अन्तिम बहस के समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दीवानी को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश की पुष्टि की जाती है। न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल वाद में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर अधिकतम् छः माह में विधिसम्मत् अन्तिम निर्णय पारित करें। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2018 को उपस्थित होकर वर्ष 1988 में प्रस्तुत मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें। निर्णय प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	